तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./813/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
डॉ महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः
श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही।

_____

दिनांकः–15.05.2025

–: आदेश :–

1– यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 29/2002 में पारित निर्णय दिनांक 19–01–2002 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

2– संक्षिप्त में रेफरेन्स के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिलाधीश जयपुर के पत्र क्रमांक आर–18ए (149) 6786 दिनांक 20–06–86 के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत श्री शेरसिंह आई0ए0एस (रिटायर्ड) तथा अन्य इनके भाईयों द्वारा सीलिंग भूमि को अवैध हस्तांतरण करने तथा बिना अधिकार के खातेदारी दिये जाने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु न्यायालय अपर कलक्टर द्वितीय जयपुर को प्राप्त हुए। न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 19–01–2002 के द्वारा प्रकरण में बक्सीस से सरपंच, ग्राम पंचायत, चित्तौडा द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण को निरस्त करते हुए भूमि को सिवायचक किये जाने के आदेश प्रदान किये एवं प्रकरण अभिशंषा हेतु मण्डल को प्रतिप्रेषित किया।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार ने सीलिंग सीमा से बचने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./813/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के लिए उक्त आराजी खसरा नम्बर 1536 रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपंजीकृत दस्तावेज (बख्शीशनामा) से सुमेर को दे दी। उक्त बख्शीशनामा के आधार पर सुमेर के पक्ष में नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया। उक्त नामांतरकरण को निरस्त कराने के लिए रेफरेन्स मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चूंकि बख्शीशनामा अपंजीकृत दस्तावेज था जिससे विधिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सम्वत् 2012–15 में कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण सीलिंग का था। उपर्युक्त स्थिति में रेफरेन्स को स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 1536 रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा को सरकार के नाम पुनः दर्ज कराने के आदेश पारित किये जावे। 5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता/उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर की गयी एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली के साथ नकल नामांतरकरण संख्या 371 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 1536 रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा भूमि अन्य भूमियों के साथ सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह के नाम दिनांक 09–11–85 को दर्ज की गयी। सरपंच ग्राम पंचायत चित्तौडा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दुरूस्ती रजामंदी का नामांतरकरण करने का अधिकार नहीं है। उक्त बख्शीश अपंजीकृत दस्तावेज है जिससे स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सीलिंग कानून से बचने के लिए हस्तांतरण किया गया है। उपर्युक्त स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चित्तौडा को बख्शीश से नामांतरकरण तस्दीक करने का अधिकार ही नहीं है। केवल सहायक कलक्टर व उपजिलाधीश को ही बख्शीश के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का अधिकार है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में केवल पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही नामांतरकरण दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय की डिक्री से ही नामांतरकरण दर्ज किया जा सकता है। परंतु प्रस्तुत प्रकरण में सरपंच ने नियमों की अवहेलना कर नामांतरकरण स्वीकृत किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उपर्युक्त स्थिति में न्यायालय अपर कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। 6– परिणामतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामांतरकरण संख्या 371 दिनांक 30–05–1970 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 1536 रकबा 41 बीघा 14	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./813/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिस्वा वाके ग्राम चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	